रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226326
CG-DL-E-01042021-226326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943
No. 180] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सा.का.नि. 229(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत पोत परिवहन मंत्रालय (पीएचआरडी डिवीजन) सं. सा.का.नि. 28 (ई) दिनांक 14 जनवरी, 2019 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा गठित नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड मौजूदा गठन और सदस्यों के साथ काम करता रहेगा और महापत्तन न्यास अधिनियम, 2021 के अंतर्गत नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के गठन के तुरंत बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

[फा.सं. एलबी–11013/1/2021–एल]
विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

G.S.R. 229(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby notifies that the Board of Trustees of New Mangalore Port Trust constituted vide Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (PHRD Division) No.G.S.R.28(E) dated the 14th January, 2019 under Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 shall continue to function with existing composition and members and shall cease to exist immediately after the constitution of the Board of New Mangalore Port Authority under the Major Port Authorities Act, 2021.

[F.No. LB-11013/1/2021-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सा.का.नि. 230(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत पोत परिवहन मंत्रालय (पीएचआरडी डिवीजन) सं. सा.का.नि. 307 (ई) दिनांक 16 अप्रैल, 2019 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा गठित वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन का न्यासी बोर्ड मौजूदा गठन और सदस्यों के साथ काम करता रहेगा और महापत्तन न्यास अधिनियम, 2021 के अंतर्गत वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के गठन के तुरंत बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

[फा.सं. एलबी–11013/1/2021–एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

G.S.R. 230(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby notifies that the Board of Trustees of V.O. Chidambaranar Port constituted vide Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (PHRD Division) No.G.S.R.307(E) dated the 16th April, 2019 under Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 shall continue to function with existing composition and members and shall cease to exist immediately after the constitution of the Board of V.O. Chidambaranar Port Authority under the Major Port Authorities Act, 2021.

[F.No. LB-11013/1/2021-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सा.का.नि. 231(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत पोत परिवहन मंत्रालय (पीएचआरडी डिवीजन) सं. सा.का.नि. 16 (ई) दिनांक 07 जनवरी, 2019 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा गठित जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड मौजूदा गठन और सदस्यों के साथ काम करता रहेगा और महापत्तन न्यास अधिनियम, 2021 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के गठन के तुरंत बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

[फा. सं. एलबी–11013/1/2021–एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

G.S.R. 231(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby notifies that the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust constituted vide Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (PHRD Division) No.G.S.R.16(E) dated the 07th January, 2019 under Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 shall continue to function with existing composition and members and shall cease to exist immediately after the constitution of the Board of Jawaharlal Nehru Port Authority under the Major Port Authorities Act, 2021.

[F.No. LB-11013/1/2021-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.01 14:18:19 +05'30'